भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
पशुपालन और डेयरी विभाग
लोकसभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 2879
दिनांक 18 मार्च, 2025 के लिए प्रश्न

मल्टीस्पेशिएलिटी पशु चिकित्सालय

2879. श्री रमासहायम रघुराम रेड्डी:

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या त्वरित निदान के लिए अच्छी प्रयोगशाला सुविधाओं की कमी है जैसा कि कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है, जिसमें कहा गया है कि मवेशियों के, लिए गए नैदानिक नमूनों को परीक्षण के परिणामों के लिए निकटवर्ती ब्लॉक या जिलों में भेजने की आवश्यकता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा अधिक प्रयोगशाला सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं तथा राज्यवार मल्टीस्पेशिएलिटी पशु चिकित्सालयों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार गरीब किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए जिला स्तर पर अधिक मल्टीस्पेशिएलिटी पशु चिकित्सालय स्थापित करने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) राज्यवार स्वीकृत और संचालित मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों (एमवीयू) की संख्या कितनी है?

उत्तर
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री
(प्रो. एस. पी. सिंह बघेल)

(क) रोग के प्रकोपों का शीघ्र पता लगाने और त्वरित प्रतिक्रिया देने हेतु पशुपालन और डेयरी विभाग के पास प्रयोगशालाओं का एक नेटवर्क है, जिसमें राज्यों में नैदानिक प्रयोगशालाएं, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान (IVRI), बरेली में एक केंद्रीय रोग निदान प्रयोगशाला (CDDL) और पांच क्षेत्रीय रोग निदान प्रयोगशालाएं (RDDL) शामिल हैं, जिनमें बेंगलुरु (दक्षिणी क्षेत्र के लिए एसआरडीडीएल), पुणे (पश्चिमी क्षेत्र के लिए डब्ल्यूआरडीडीएल), जालंधर (उत्तरी क्षेत्र के लिए एनआरडीडीएल), कोलकाता (पूर्वी क्षेत्र के लिए ईआरडीडीएल) और गुवाहाटी (उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए एनईआरडीडीएल) में एक एक प्रयोगशाला है। ये आरडीडीएल/सीडीडीएल अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत राज्यों के लिए विशेष/रेफरल नैदानिक कार्य करते हैं।

उपरोक्त के अतिरिक्त, भारत में एवियन इन्फ्लूएंजा के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) - राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान (NIHSAD), भोपाल, एफएमडी के लिए भा.कृ.अनु.प. - राष्ट्रीय खुरपका और मुंहपका रोग संस्थान (NIFMD)-भुवनेश्वर, पेस्ट डेस पेटिट्स रुमिनेंट्स (पीपीआर) और लेप्टोस्पायरोसिस के लिए राष्ट्रीय पशु चिकित्सा जानपदिक रोग सूचना विज्ञान संस्थान (NIVEDI)-बेंगलुरु , इक्वाइन पाइरोप्लाज्मोसिस के लिए भा.कृ.अनु.प-राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र, हिसार और रेबीज के लिए कर्नाटक पशुचिकित्सा, पशु और मत्स्य विज्ञान विश्वविद्यालय (केवीएएफएसयू), बेंगलुरू जैसी विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन (WOAH) से मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाएं हैं।

(ख), (ग) और (घ) पशुपालन राज्य का विषय है और प्रयोगशालाओं और बहु-विशिष्ट पशु चिकित्सा अस्पतालों की स्थापना राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आती है। हालांकि, पशुपालन और डेयरी विभाग राज्य कार्य योजना के अनुसार पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एलएचडीसीपी) के अंतर्गत पशु चिकित्सा प्रयोगशालाओं की स्थापना और सुदृढ़ीकरण के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता दे रहा है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार स्वीकृत और कार्य कर रही एमवीयू का विवरण **अनुबंध-I** में दिया गया है

इसके अलावा, एलएचडीसीपी योजना के पशु चिकित्सा अस्पतालों और औषधालयों की स्थापना और सुदृढ़ीकरण-मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों (ईएसवीएचडी-एमवीयू) घटक के तहत, विभाग किसानों के द्वार पर निदान, उपचार प्रदान करने के लिए मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों (एमवीयू) के संचालन के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। वर्तमान में, देश भर में 28 राज्यों में 4016 एमवीयू कार्य कर रही हैं। राज्यवार स्वीकृत और कार्य कर रही एमवीयू का विवरण **अनुबंध-II** में दिया गया है।

*****

अनुबंध- I

क्रसं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**पशु चिकित्सा अस्पताल/पॉलीक्लिनिक**	**पशु चिकित्सा औषधालय**	**पशु चिकित्सा सहायता केंद्र (स्टॉकमैन सेंटर / मोबाइल औषधालय) 1558**	**कुल**
1	आंध्र प्रदेश	337	1577	1558	3472
2	अरुणाचल प्रदेश	16	183	311	510
3	असम	21	431	767	1219
4	बिहार	1096	39	1595	2730
5	छत्तीसगढ	364	847	55	1266
6	गोवा	5	25	47	77
7	गुजरात	34	891	1139	2064
8	हरियाणा	1050	1815	91	2956
9	हिमाचल प्रदेश	466	1762	1228	3456
10	जम्मू और कश्मीर	19	1256	225	1500
11	झारखंड	35	424	433	892
12	कर्नाटक	697	2176	1381	4254
13	केरल	279	870	15	1164
14	मध्य प्रदेश	1063	1583	65	2711
15	महाराष्ट्र	39	1976	2841	4856
16	मणिपुर	59	151	23	233
17	मेघालय	4	126	121	251
18	मिजोरम	11	67	69	147
19	नागालैंड	13	55	100	168
20	ओडिशा	62	479	3553	4094
21	पंजाब	1389	1489	22	2900
22	राजस्थान	3066	7167	102	10335
23	सिक्किम	23	74	49	146
24	तमिलनाडु	182	2766	921	3869
25	तेलंगाना	107	909	1101	2117
26	त्रिपुरा	16	65	462	543
27	उत्तराखंड	331	10	779	1120
28	उत्तर प्रदेश	2208	267	2575	5050
29	पश्चिम बंगाल	113	616	2609	3338
30	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह*	10	13	49	72
31	चंडीगढ़	5	9	0	14
32	लद्दाख	4	9	127	140
33	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	1	2	12	15
34	दिल्ली	48	29	0	77
35	लक्षद्वीप	**0**	9	0	9
36	पुदुचेरी	0	17	107	124
	अखिल भारतीय	**13173**	**30184**	**24532**	**67889**

स्रोत : राज्य/संघ राज्य क्षेत्र पशुपालन विभाग, मूल पशुपालन सांख्यिकी-2024

अनुबंध- II

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार कार्य कर रही मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों की संख्या का विवरण निम्नानुसार है:

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	संस्वीकृत एमवीयू की संख्या	कार्य कर रही एमवीयू की संख्या
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	5	0
2	आंध्र प्रदेश	340	340
3	अरुणाचल प्रदेश	25	25
4	असम	159	159
5	बिहार	307	307
6	छत्तीसगढ	163	163
7	दिल्ली	3	0
8	गोवा	2	2
9	गुजरात	127	127
10	हरियाणा	70	70
11	हिमाचल प्रदेश	44	44
12	जम्मू और कश्मीर	6	50
13	झारखंड	236	236
14	कर्नाटक	275	275
15	केरल	29	29
16	लद्दाख	9	9
17	लक्षद्वीप	9	0
18	मध्य प्रदेश	406	406
19	महाराष्ट्र	80	80
20	मणिपुर	33	33
21	मेघालय	17	17
22	मिजोरम	26	26
23	नागालैंड	16	16
24	ओडिशा	181	0
25	पुदुचेरी	4	4
26	पंजाब	70	0
27	राजस्थान	536	536
28	सिक्किम	6	6
29	तमिलनाडु	245	245
30	तेलंगाना	100	0
31	त्रिपुरा	13	13
32	उत्तर प्रदेश	520	520
33	उत्तराखंड	60	60
34	पश्चिम बंगाल	218	218
	कुल	**4340**	**4016**

*****